

PCMS
A

73/18
22.5.18

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चांदवा, सीवसैन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प धारा 136/1

:-आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी धारा 136 व भू.अ.नि. 1956 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चांदवा/नायब तहसीलदार चांदवा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चांदवा तहसील चांदवा जिला चांदवा की जमाबन्दी सम्वत् 2023-26 में खाता संख्या 2 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	चांदवा	2	अमल दरामद रु 10000/-	अमल दरामद रु 10000/-



(Signature)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड सीवसैन एवं
पदेन सहा.कलक्टर,

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चांदवा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री [Signature] को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(Signature)
उप पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,